कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा/माध्य/नि.प्र./डी–I/21901/प.प./वो–2/2025–35431 दिनांक यथाहस्ताक्षर

:: परिपत्र ::

विषय :– परीक्षा परिणाम की समीक्षा के नवीन मानदण्ड एवं दायित्व निर्धारण।

समसंख्यक परिपत्र क्रमांकः शिविरा–मा/माध्य/निप्र/डी–I/21901/पप/2015–16/300 दिनांकः 18.04.2016 द्वारा परीक्षा परिणाम की समीक्षा के मानदण्ड के सम्बन्ध में जारी निर्देश परिपत्र के अतिक्रमण में नवीन प्रावधान एवं आवश्यकताओं को सम्मिलित कर **अद्यतन करते हुए** उच्च माध्यमिक/उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों के लिए शैक्षिक सत्र 2024–25 से प्रभावी होने वाले निम्नांकित मानदण्ड नियत किये जाते हैं :–

1. संस्था प्रधान :–

(अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम :–

विद्यालय का कक्षा 12वीं एवं 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम 90% अथवा उससे अधिक तथा कक्षा 8वीं व 5वीं में 90% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त करने पर, संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। (विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12वीं, 10वीं, 8वीं व 5वीं के समेकित परीक्षा परिणाम के लिए) **उदाहरणार्थ** :–

कक्षा 12वीं में 60 में से 54, 10वीं में 50 में से 43 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, कक्षा 8वीं में 35 में से 33 व कक्षा 5वीं में 30 में से 29 विद्यार्थी यदि A ग्रेड से उत्तीर्ण हुए हैं तो संस्था प्रधान का परीक्षा परिणाम इन कक्षाओं के मानदण्डानुसार उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या {54+43+33+29= 159} का नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या {60+50+35+30=175} के प्रतिशत के रूप में {159x100/175 = 90.85} गणना की जायेगी।

(ब) न्यून परीक्षा परिणाम :–

विद्यालय का कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 60% अथवा उससे न्यून एवं 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम 50% अथवा उससे न्यून रहने पर तथा कक्षा 8वीं व 5वीं के परीक्षा परिणाम में 50% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड 'E' प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के परीक्षा परिणाम को न्यून माना जाएगा।

नोट :–

i. विद्यालय के संस्था प्रधान के लिए परीक्षा परिणाम की गणना कक्षा 12वीं व 10वीं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों और कक्षा 8वीं व 5वीं में ग्रेड 'A' लाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या को इन कक्षाओं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उस वर्ष के कुल विद्यार्थियों की संख्या के सन्दर्भ में की जाएगी। **श्रेष्ठ परिणाम के लिए न्यूनतम 10 विद्यार्थियों का नामांकन होने पर ही विचार किया जायेगा।**

ii. यदि विद्यालय में किसी भी एक परीक्षा **(कक्षा 5, 8, 10 एवं 12)** में परिणाम मानदण्ड से न्यून रहता है तो विद्यालय के संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण–पत्र नहीं दिया जाएगा।

iii. संस्था प्रधान के रूप में गत पाँच वर्षों (आलोच्य वर्ष सहित) में परीक्षा परिणाम **एक बार** मानदण्ड से न्यून रहने पर लिखित चेतावनी दी जायेगी एवं स्थान परिवर्तन किया जा

RajKaj Ref No.: 15464293

सकेगा। किन्तु आलोच्य वर्ष सहित **लगातार दो वर्षों अथवा गत पाँच वर्षों में से कोई 03 वर्ष का** परीक्षा परिणाम मानदण्ड से न्यून रहने पर सीसीए नियम–17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

iv. **कार्यवाहक संस्था प्रधान** के रूप में कार्य करने पर न्यून परीक्षा के मानदण्ड 50% तक कम किये जायेंगे। **अर्थात** कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 30% अथवा न्यून एवं कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 25% अथवा न्यून रहने पर तथा कक्षा 8वीं व 5वीं के परीक्षा परिणाम में 60% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा 'E' ग्रेड प्राप्त करने पर परीक्षा परिणाम न्यून माने जायेंगे।

2. <u>शिक्षक</u> :–

(अ) <u>श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम</u> :–

शिक्षक का कक्षा 12वीं एवं 10वीं में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 90% अथवा उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा 8वीं व 5वीं में अध्यापन करवाए गए विषय के परीक्षा परिणाम में 95% या इससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड 'A' प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। **(शिक्षक के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12वीं, 10वीं, 8वीं व 5वीं के समेकित परीक्षा परिणाम के लिए)**

(ब) <u>न्यून परीक्षा परिणाम</u> :–

शिक्षक का कक्षा 12वीं में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 70% अथवा न्यून एवं कक्षा 10वीं में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 60% अथवा न्यून रहने पर तथा कक्षा 8वीं व 5वीं में अध्यापक (लेवल–प्रथम अथवा लेवल–द्वितीय, जो निर्धारित हो) के कक्षा/विषय के परीक्षा परिणाम में 40% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड 'E' प्राप्त करने पर संबंधित शिक्षक का परीक्षा परिणाम न्यून माना जायेगा।

<u>नोट</u> :–

i. शिक्षक के लिए परीक्षा परिणाम की गणना कक्षा 12वीं व 10वीं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों और कक्षा 8वीं व 5वीं में ग्रेड 'A' लाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या को इन कक्षाओं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उस वर्ष के कुल विद्यार्थियों की संख्या के सन्दर्भ में की जाएगी। **श्रेष्ठ परिणाम के लिए न्यूनतम 10 विद्यार्थियों का नामांकन होने पर ही विचार किया जायेगा।**

ii. यदि विद्यालय में किसी एक परीक्षा में परिणाम मानदण्ड से न्यून रहता है तो शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण–पत्र नहीं दिया जाएगा।

iii. शिक्षक के रूप में गत पाँच वर्षों (आलोच्य वर्ष सहित) में परीक्षा परिणाम **एक बार** मानदण्ड से न्यून रहने पर लिखित चेतावनी दी जायेगी एवं स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा। किन्तु आलोच्य वर्ष सहित **लगातार दो वर्षों अथवा गत पाँच वर्षों में से कोई 03 वर्ष का** परीक्षा परिणाम मानदण्ड से न्यून रहने पर सीसीए नियम–17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

iv. **कार्यवाहक शिक्षक** के रूप में कार्य करने पर न्यून परीक्षा के मानदण्ड 50% तक कम किये जायेंगे। **<u>अर्थात्</u>** कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 35% अथवा न्यून एवं कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 30% अथवा न्यून रहने पर तथा कक्षा 8वीं व 5वीं के परीक्षा परिणाम में 60% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा 'E' ग्रेड प्राप्त करने पर परीक्षा परिणाम न्यून माने जायेंगे। मूल विषय के अलावा अन्य विषय का अध्यापन करा रहे शिक्षकों के लिए उसकी स्वयं की अर्जित योग्यता से सम्बन्धित विषय का अध्यापन उच्चतर कक्षाओं में करवाए जाने पर

RajKaj Ref No.: 15464293

परीक्षा परिणाम संबंधी मानदण्ड यथावत रहेंगे। किन्तु, यदि शिक्षक को उसके स्वयं की अर्जित योग्यता से सम्बन्धित विषय के अतिरिक्त अन्य विषय का अध्यापन किया हो तो उन शिक्षकों के लिए मानदण्ड निर्धारित मानदण्डों के 50% होंगे। **अर्थात्** कक्षा 12वीं के लिए 35% व कक्षा 10वीं के लिए 30% कम परीक्षा परिणाम न्यून माना जायेगा, कक्षा 8वीं व 5वीं के परीक्षा परिणाम में 60% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा 'E' ग्रेड प्राप्त करने पर परीक्षा परिणाम न्यून माने जायेंगे।

v. कार्य व्यवस्थार्थ/शिक्षण व्यवस्थार्थ मूल पदस्थापन स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर लगाये गये शिक्षक उनके वास्तविक रूप से कार्य करने के स्थान के (कार्य व्यवस्थार्थ लगे विद्यालय के) परीक्षा परिणाम के लिये उत्तरदायी होंगे, नकि मूल पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित परीक्षा परिणाम के लिये।

क्रियान्वयन की रूपरेखा :–

उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण–पत्र देने या आरोप–पत्र जारी करने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर आवश्यक रूप से विचार किया जावे :–

3.1 संस्था प्रधान/शिक्षक का सत्र के दौरान (जुलाई से फरवरी) संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक हो। शैक्षिक व्यवस्थार्थ अथवा अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी।

3.2 परीक्षा परिणाम की गणना के लिये पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

3.3 जिन उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक से अधिक संकाय संचालित है, उनके परीक्षा परिणाम की गणना करते समय दो या अधिक संकायों का कुल परिणाम (सभी संकायों के प्रविष्ठ कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी) आंकलित किया जाकर गणना की जाएगी।

उदाहरणार्थ :–

विज्ञान संकाय में प्रविष्ठ 70 में से 64, **वाणिज्य संकाय** में प्रविष्ठ 80 में से 78, **कृषि संकाय** में प्रविष्ठ 90 में से 87 व **कला संकाय** में 60 में से 54 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा परिणाम की गणना इन उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या {64+78+87+54 = 283} का नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या {70+80+90+60 = 300} के आधार पर अन्तिम परीक्षा परिणाम प्रतिशत के रूप में {283x100/300 = 94.33} गणना की जायेगी।

3.4 एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया हो तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गो का कुल परिणाम (सभी कक्षा वर्ग के प्रविष्ठ कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी) आंकलित किया जाकर गणना की जाएगी।

3.5 यदि एक ही विषय का अध्यापन एक से अधिक अध्यापकों द्वारा विषय खण्ड के रूप में कराया गया हो (जैसे विज्ञान विषय में जीव–विज्ञान के पाठ एक अध्यापक द्वारा तथा भौतिकी–रसायन से सम्बन्धित पाठ अन्य शिक्षक द्वारा) तो परिणाम के लिये **दोनों समान रूप से उत्तरदायी** होंगे।

3.6 सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा।

RajKaj Ref No.: 15464293

4. <u>सक्षम अधिकारी</u> :–

4.1 संस्था प्रधान एवं प्राध्यापक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण–पत्र शालादर्पण मॉड्यूल पर ऑनलाईन निदेशालय द्वारा जारी किया जायेगा।

वरिष्ठ अध्यापक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण–पत्र सम्बन्धित सम्भागीय अधिकारी एवं अध्यापक, लेवल–प्रथम/द्वितीय को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण–पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारम्भिक द्वारा दिया जाएगा।

4.2 संस्था प्रधान एवं प्राध्यापक के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा की जाएगी।

वरिष्ठ अध्यापक के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धित सम्भागीय अधिकारी तथा अध्यापक, लेवल–प्रथम/द्वितीय के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारम्भिक द्वारा की जाएगी।

5. <u>समय सारिणी</u> :–

5.1 उपर्युक्त परिपत्र में उल्लिखित कक्षाओं के लिये परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया जुलाई माह तक सम्पन्न कर ली जाती है, अतः उपर्युक्त मानदण्डानुरूप कार्यवाही निम्न समय–सारिणी के अनुसार करने का दायित्व सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

5.2 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान/प्राध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने हेतु समय सारिणी :–

5.2.1 संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना – **15 नवम्बर से पूर्व।**

5.2.2 संस्था प्रधान एवं प्राध्यापक हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मण्डल अधिकारी को अनुशंषा सहित सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना **15 दिसम्बर से पूर्व।**

5.2.3 सम्बन्धित मण्डल एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र संस्था प्रधान को प्रेषित करना **15 जनवरी से पूर्व।**

5.2.4 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु शिक्षक को प्रमाण–पत्र देकर सम्मानित करना **26 जनवरी को शाला के गणतन्त्र दिवस समारोह में।**

5.3 जिला शिक्षा अधिकारी प्रति वर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का नाम राज्य एवं जिला स्तरीय समारोह में सम्मान हेतु अपनी अनुशंषा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिये प्रेषित करेंगे।

5.4 न्यून परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :–

क्र.सं.	करणीय कार्यवाही	निर्धारित तिथि
5.4.1	न्यून परीक्षा परिणाम वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का निर्धारण।	**30 जुलाई तक**
5.4.2	विश्लेषण उपरान्त आरोप पत्र जारी करना।	**10 अगस्त तक**

RajKaj Ref No.: 15464293

		(E-Dak द्वारा)
5.4.3	आरोप पत्र का जवाब प्राप्त करना।	**25 अगस्त तक (E-Dak द्वारा)**
5.4.4	**<u>जवाब के आधार पर</u> :–** **(i)** संतोषजनक जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण Drop करना। **(ii)** जवाब संतोषजनक नहीं होने व प्रथमबार न्यून परीक्षा परिणाम होने के कारण लिखित चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त करना।	**25 सितम्बर तक**
5.4.5	जवाब संतोषजनक नहीं होने तथा परीक्षा परिणाम लगातार दो वर्षों अथवा गत 05 वर्षों में से 03 वर्षों में मानदण्ड से न्यून रहने पर :– **(i)** व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस **(ii)** व्यक्तिगत सुनवाई	**25 सितम्बर तक** **31 अक्टूबर तक**
5.4.6	आरोप पत्र पर निर्णय पारित करना।	**30 नवम्बर तक**

उपर्युक्त निर्देशानुसार निर्धारित उत्तरदायित्व एवं समय–सारणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध रूप से नहीं करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

(आशीष मोदी)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
एवं अति.रा.परि.निदेशक (वरिष्ठ), समसा

क्रमांकः शिविरा–मा/माध्य/नि.प्र./डी–1/21901/प.प./वो–2/2025–35431 दिनांक यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, सम्भागीय स्कूल शिक्षा विभाग।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारम्भिक।
7. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक (विभागीय जाँच/प्राथमिक जाँच)।
8. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान।
9. वरिष्ठ सम्पादक ''शिविरा'', प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
एवं अति.रा.परि.निदेशक (वरिष्ठ), समसा

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :27-05-2025 09:36:52

RajKaj Ref No.: 15464293